प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायाधीश, लखनऊ

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त परिपत्र संख्या 14/Admin. 'D' Section/Allahabad; Dated 15.10.2022 के अनुक्रम में न्यायिक अधिष्ठान, लखनऊ से सेवानिवृत्त कर्मचारीगण में से ऐसे कर्मचारीगण जिनकी आयु 65 वर्ष पूर्ण न हुई हो, पुनर्नियुक्ति की जानी है। **यह पुनर्नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी तथा एक बार में छः माह की अवधि के लिये की जायेगी बशर्ते कि यदि पूर्व में ही समाप्त न कर दी जाये अथवा प्रोन्नति व सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती न हो जाये अथवा 65 वर्ष आयु पूर्ण न कर ली जाये(जो भी पहले हो)।**

उक्त पदों का वेतनमान सम्बन्धित पद पर आवेदक को मिलने वाले अन्तिम आहरित वेतन जिसमें से पेंशन की राशि काटकर मानदेय के रूप में देय होगा। अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश शासन के यथासंशोधित आदेशों के अधीन प्रदान किये जायेंगे।

आवेदक नियुक्ति की सहमति अपना प्रार्थना-पत्र दिनांक-31.10.2022 की सायं 04:00 बजे तक प्रशासनिक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, लखनऊ व माननीय उच्च न्यायालय की अधिकारिक वेबसाईट पर भी अपलोड कराये। सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु नोटिस बोर्ड पर चस्पा हो।

20/10/22

प्रभारी अधिकारी(सामान्य प्रशासन),
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-1,
लखनऊ।